

पत्रांक-योजना बजट-292/2025-6097 / प०व०ज०प०

बिहार सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

प्रेषक,

पूनम कुमारी,
सरकार के संयुक्त सचिव

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना

पटना-15, दिनांक-25/11/2025

विषय :- वित्तीय वर्ष 2025-26 में वन्यप्राणियों के सुरक्षा, संरक्षण एवं विकास योजनान्तर्गत वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष प्रमंडल-2 में गिद्ध संरक्षण योजना हेतु कुल ₹1,97,92,226/- (एक करोड़ संतानवे लाख बानवे हजार दो सौ छब्बीस रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक वित्तीय वर्ष 2025-26 में वन्यप्राणियों के सुरक्षा, संरक्षण एवं विकास योजनान्तर्गत वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष प्रमंडल-2 में गिद्ध संरक्षण योजना हेतु कुल ₹1,97,92,226/- (एक करोड़ संतानवे लाख बानवे हजार दो सौ छब्बीस रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

इस योजना का क्रियान्वयन अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, बिहार, पटना के पत्रांक-719 दिनांक-17.11.2025 एवं पत्रांक-763 दिनांक-24.11.2025 द्वारा सम्प्रेषित सारांशित कार्य योजना/प्राक्कलन जो परिशिष्ट-1 के रूप में संलग्न है, के अनुरूप किया जायेगा।

2. स्वीकृत राशि की निकासी राज्य स्कीम मुख्य शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्यप्राणी, उपमुख्य शीर्ष-02-पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव, लघु शीर्ष 110-वन्य जीव परिरक्षण, उपशीर्ष 0121-वन्यप्राणियों के सुरक्षा, संरक्षण एवं विकास, विपत्र कोड-19-2406021100121 के विषय शीर्ष-0121.02.01-मजदूरी, 0121.21.01-सामग्री एवं पूर्तियाँ, 0121.27.01-लघु कार्य तथा 0121.52.02-मशीने एवं उपस्कर के अन्तर्गत उपलब्ध उपबंधित राशि के तहत की जायेगी।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वन प्रमंडल पदाधिकारी, वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष प्रमंडल-2, बेतिया होंगे तथा राशि की निकासी उनके संबद्ध कोषागार से की जायेगी।

4. इस राशि का आवंटन, निकासी एवं व्यय बिहार कोषागार संहिता तथा बिहार वित्त नियमावली में उल्लिखित सुसंगत प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों तथा अद्यतन अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।

5. राशि के अग्रिम निकासी पर वित्त विभागीय पत्रांक-2221 दिनांक-15.04.2020 द्वारा शिथिलीकरण प्राप्त है, अतएव राशि के आवंटन के समय वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-2561 दिनांक-17.04.1998 की कंडिका-15 को छोड़कर शेष कंडिकाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

6. योजना की स्वीकृति को दर की स्वीकृति नहीं माना जाए। इस योजना की स्वीकृति प्राक्कलित दर के आधार पर दी जा रही है। संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा नियमानुसार विधिवत् अनुमोदित दर के अनुरूप ही राशि का व्यय किया जायेगा।

7. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-12888 दिनांक-03.12.2024 की कंडिका-12 में वर्णित प्रावधान के अधीन स्वीकृति प्रदान की जा रही है।

8. सामग्री/सेवाओं की अधिप्राप्ति बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2024 में उल्लिखित सुसंगत प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों तथा अद्यतन अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। सामग्री का क्रय एवं सेवाओं की अधिप्राप्ति के संबंध में जहाँ नियमानुसार आवश्यक हो GeM/निविदा संबंधी नियमों का अनुपालन किया जायेगा।

09. इस राशि की निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।


10. योजना क्रियान्वयन का नियमित पर्यवेक्षण प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना द्वारा किया जायेगा तथा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, बिहार, पटना द्वारा योजना के क्रियान्वयन का अनुश्रवण कराया जायेगा।

11. योजना के क्रियान्वयन में यदि किसी प्रकार की अनियमितता होती है, तो योजना को क्रियान्वित/निरीक्षण/पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करने वाले पदाधिकारियों की जवाबदेही होगी।

12. संचिका संख्या-292/2025 के पृष्ठ-03/टि० पर दिनांक-25.11.2025 को प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। दिनांक-25.11.2025 को सम्पन्न विभागीय स्थायी वित्त समिति द्वारा प्रस्ताव के स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। पृष्ठ-04/टि० पर दिनांक-25.11.2025 को प्रधान सचिव की स्वीकृति एवं पृष्ठ-05/टि० पर दिनांक-25.11.2025 को प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

अनुलग्नक - यथोक्त।


विश्वासभाजन


(पूनम कुमारी)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-योजना बजट-292/2025-6097/प०व०ज०प०, पटना-15, दिनांक-25/11/2025


प्रतिलिपि:- (सानुलग्नक) वित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), बिहार, पटना/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, बिहार, पटना/संबंधित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक एवं वन संरक्षक/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/आंतरिक वित्तीय सलाहकार/बजट शाखा (दो प्रतियों में)/आई०टी० (मैनेजर), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(पूनम कुमारी)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-योजना बजट-292/2025-6097/प०व०ज०प०, पटना-15, दिनांक-25/11/2025

प्रतिलिपि :- (सानुलग्नक) संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित उप विकास आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(पूनम कुमारी)

सरकार के संयुक्त सचिव

कार्यालय:- वन प्रमंडल पदाधिकारी-सह-उप निदेशक, वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष प्रमंडल-2, बेतिया, प0 चम्पारण।

Financial year 2025-26 Vulture conservation action plan for Valmiki Tiger Reserve

क्र.सं.	कार्य का विवरण	प्रक्षेत्र/कार्य स्थल	इकाई	इकाई दर	राशि (लाख में)	आचित्य	अनु०
1	Fencing	Ganauli (T22, N27° 19' 19", E83° 59' 34") and Chiutaha (K39, N27° 16' 2", E84° 6' 58")	2	3381542	6763084	14 Acre area identified for primary feeding are in order to protect the carcasses from stray dogs	Annex-01
2	Main gate		2	331074	662148		Annex-02
3	Hiding spot		2	1891315	3782630	To observe the vultures and their behaviour and counting	Annex-03
4	Rescue equipment		2	173207	346414	For rescue and rehabilitation of vultures	Annex-04
5	Solar borewell and waterhole		2	880000	1760000	For year around freshwater source for drinking and bathing	Annex-05
6	Vatarniary cum training shed		2	2157475	4314950	For record keeping, meeting with villagers/ students and Vatarniary purposes	Annex-06
7	PTT and tags and testing kit		2	1081500	2163000	For tracking and long-term monitoring	Annex-07
Grand total				9896113	19792226		

Technical sanction for

Rs. 19792226/- (Rupees One crore ninety seven lakh ninety two thousand two hundred twenty six only)

[Signature]
24/11/23

Conservator of Forests-cum-Field Director,
Valmiki Tiger Reserve, W. Champaran.

[Signature]
Director
Ecology & Environment

[Signature]
24/11/23
Director
Ecology & Environment
Patna

Submitted for

Rs. 19792226/- (Rupees One crore ninety seven lakh ninety two thousand two hundred twenty six only)

[Signature]

Dir.O-cum-Dy Director,
Valmiki Tiger Reserve, Div-02, Bettiah